राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(51) परि/नियम/मु./2009/10027 जयपुर, दिनांकः25/5/16

कार्यालय आदेश..22......../2016

निरन्तर यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि जो व्यक्ति पूर्व में हल्का मोटर यान श्रेणी का चालक लाईसेंस धारित किये हुए है, यदि वे इसी श्रेणी के परिवहन यान चालक लाईसेंस के लिए आवेदन करते है तो आवेदन यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता है कि परिवहन श्रेणी के चालक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को न्यूनतम एक वर्ष का पुराना हल्का मोटर यान (गैर–परिवहन) का लाईसेंस धारित करना अनिवार्य है।

इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 56/2003 दिनांक 11.07.2003 में नियमों की व्याख्या करते हुए निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार के प्रकरण में एक वर्ष पुराने हल्का मोटर यान (गैर–परिवहन) चालन अनुज्ञप्ति धारित करने की अनिवार्यता नहीं है।

इसके पश्चात् पत्र दिनांक 24.06.2010 एवं 28.09.2010 के द्वारा भी उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया गया था। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि–

1. यह अनिवार्यता लर्निंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु है, जबकि इस प्रकार के प्रकरण में नवीन लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम,1989 के नियम 31(5) में स्पष्ट प्रावधान है कि दुपहिया, तिपहिया(गैर–परिवहन) एवं मोटर–कार लाईसेंस धारक इसी श्रेणी के (मोटर कैब) वाहनों हेतु परिवहन यान का चालक लाईसेंस चाहता हो अथवा ट्रेक्टर हेतु लाईसेंस धारक ट्रेक्टर–ट्रॉली कॉम्बिनेशन चलाने हेतु लाईसेंस का आवेदन करता है तब नियम 31(5) जो कि प्रशिक्षण से संबंधित है, भी लागू नहीं होगा अर्थात् इस प्रकार के आवेदन के समय परिवहन यानों की भांति आवश्यक प्रपत्र–5 में मोटर यान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी।

   इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार के आवेदन करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है अर्थात् लर्निंग लाईसेंस की भी आवश्यकता नहीं है।
3. लाईसेंस प्रपत्र–6 के दो भाग है जिसमें प्रथम भाग में "license to drive" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर इस प्रकार के आवेदकों के पास इन वाहनों को चलाने का लाईसेंस तो है किन्तु इसी प्ररूप के भाग–2 में परिवहन यान चलाने हेतु

अनुज्ञापन प्राधिकार नहीं है अर्थात् इस प्रकार के आवेदक को लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अपितु राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.2 के अन्तर्गत परिवहन यान चलाने हेतु प्राधिकार (authorisation to drive transport vehicle) प्राप्त करना ही आवश्यक है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि हल्का मोटर यान (परिवहन श्रेणी) के चालन अनुज्ञप्ति हेतु एक वर्ष पुराने हल्के मोटर यान (गैर–परिवहन) के चालन लाईसेंस की अनिवार्यता नहीं है अपितु राजस्थान मोटर यान नियम,1990 के नियम 2.2 की अपेक्षानुसार प्ररूप 2.1 में आवेदन ही करने पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि :–

1. आवेदक 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
2. चरित्र उत्तम हो। (पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र)
3. मेडिकल प्रमाण पत्र प्ररूप 1ए में संलग्न हो।
4. आवेदक न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण हो।

उक्त निदेर्शो का अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें अन्यथा संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांकः प.7(51) परि/ नियम/ मु./ जयपुर,दिनांकः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)